

कार्यालय नगर पालिका सुमेरपुर जिला - पाली (राज.)

क्रमांक न.पा.सु./कृषि भूमि/2025/6430

दिनांक 06/10/25

:- ले-आउट प्लान कमेटी बैठक की कार्यवाही :-

आज दिनांक 06/10/25 समय दोपहर 03.00 बजे पालिका सभागार में ले-आउट प्लान समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता ले-आउट प्लान समिति के अध्यक्ष (प्रशासक न.पा.) द्वारा की गई।

बैठक में निम्न सदस्य महानुभव उपस्थित हुये।

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. श्रीमान कालुराम कुम्हार प्रशासक नगरपालिका, सुमेरपुर | अध्यक्ष ले आउट कमेटी |
| 2. श्रीमान नरपतसिंह राजपुरोहित अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, सुमेरपुर | सदस्य सचिव ले आउट कमेटी |
| 3. श्री श्रीकान्त लकवाल वरिष्ठ प्रारूपकार नगरपालिका, सुमेरपुर | सदस्य ले आउट कमेटी |
| 4. श्री कैलाश कुमार मीना कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका सुमेरपुर | सदस्य ले आउट कमेटी |

ले आउट प्लान कमेटी का कोरम पूर्ण होने पर बैठक कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से प्रारम्भ की गई जिसमें निम्न प्रस्तावों पर निर्णय एवं विचारार्थ रखे गए।

प्रस्ताव संख्या (01). खातेदारों (1) श्री भगाराम पुत्र भूरारामजी (2) श्री मगनाराम पुत्र भगारामजी जातिगण-मीणा निवासीगण-बापूनगर, पालड़ी जोड़, सुमेरपुर तहसील-सुमेरपुर जिला-पाली (राज.) के द्वारा प्रस्तुत नगरपालिका सुमेरपुर क्षेत्र परिधि/राजस्व ग्राम पालड़ी पटवार हल्का

पालड़ी तहसील सुमेरपुर के खसरा सं 473/1755, 474/1756, कुल रकबा 1.6100 हेक्टेयर भूमि यानि कुल क्षेत्रफल 173300.00 वर्गफीट अर्थात 16105.0 वर्गमीटर कृषि भूमि से गैर कृषिक आवासीय (योजना-श्री श्रीजी नगर पार्ट-2) प्रयोजनार्थ के ले-आउट प्लान पर विचारार्थ एवं निर्णयार्थ :- उक्त प्रकरण में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव द्वारा भूमि शाखा प्रभारी को कमेटी के समक्ष विस्तृत जानकारी देने हेतु कहा गया। जिस पर शाखा प्रभारी ने कमेटी के समक्ष जानकारी दी गई कि खातेदार द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ की 90-क किये जाने हेतु इस कार्यालय में पत्रावली प्रस्तुत की गई। जिस पर पालिका द्वारा 90-क से संबंधित पत्रावली में निम्न (प्रीमियम राशि) कुल क्षेत्रफल 16105.0 वर्गमीटर की प्रीमियम राशि 170/- रुपये प्रति वर्गमीटर से कुल राशि 27,37,850/- रुपये की 10 प्रतिशत अग्रिम आवेदन राशि कुल 2,73,785/- रुपये रसीद सं. 78/28 दिनांक 13.06.2025 से जमा की गई। तत्पश्चात आवेदक के स्वयं के खर्च पर समाचार पत्र में लोक सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु पालिका पत्र क्रमांक 2442-2445 दिनांक 17.06.2025 से दिये जाने पर खातेदार द्वारा उक्त लोक सूचना का प्रकाशन मरूलहर दैनिक के अंक दिनांक 18.06.2025 तथा दैनिक नवज्याति के अंक दिनांक 18.06.2025 में लोकसूचना के प्रकाशन उपरांत निर्धारित समयावधि में किसी भी व्यक्ति/संस्था/अन्य द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं हुआ। मूल समाचार पत्र की प्रति पत्रावली में संलग्न है। उक्त प्रकरण में श्रीमान तहसीलदार महोदय से प्रारूप-6 की रिपोर्ट चाहने बाबत पालिका के पत्रांक 2441 दिनांक 17.06.2025 से श्रीमान तहसीलदार महोदय को प्रेषित किये जाने पर श्रीमान तहसीलदार महोदय से

✓

Shrikant

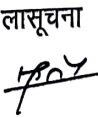
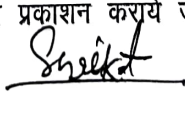
✓

क्षेत्रफल तक के प्रकरण के निस्तारण हेतु वरिष्ठ प्रारूपकार/नगर नियोजक सहायक/सहायक नगर नियोजक को तकनीकी राय हेतु निर्देश प्राप्त हुये है। उक्त आदेश की पालना में पालिका में वरिष्ठ प्रारूपकार का पद निर्धारण होने से श्री श्रीकांत लकवाल वरिष्ठ प्रारूपकार द्वारा उक्त प्रकरण में अपनी तकनीकी राय की पालना के निर्देश प्रदान करते हुए प्रश्नगत भूखण्ड पर राजस्थान भवन विनिमय 2025 के अनुरूप अग्रसेट बैंक न्युनतम 4.5 मीटर एवं शेष तीनों तरफ 6.0-6.0-6.0 मीटर सैटबैक रखे जाने होंगे। तकनीकी राय में ले आउट प्लान में निम्नानुसार राय प्रदान करते हुए तकनीकी स्वीकृति के हस्ताक्षर किये गये।

1. आवासीय एकल पट्टा - 2078.90 वर्गमीटर
2. सड़क में समर्पित - 190.05 वर्गमीटर
3. कुल क्षेत्रफल - 2269.00 वर्गमीटर

इस प्रकार उक्त प्रकरण में शाखा प्रभारी द्वारा कमेटी के समक्ष विस्तृत जानकारी दी गई। सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि तकनीकी राय हेतु नगरपालिका में पदस्थापित वरिष्ठ प्रारूपकार द्वारा अपनी लिखित तकनीकी राय दिये जाने व ले आउट प्लान की तकनीकी स्वीकृति उपरांत ले आउट प्लान कमेटी की बैठक में उपस्थिति आवश्यक है। इस पर ले आउट प्लान कमेटी द्वारा मूल पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया। तत्पश्चात कमेटी द्वारा बताया गया कि सर्वप्रथम तकनीकी राय अनुसार प्रस्तावित भूमि के 90-क के आदेश जारी कर श्रीमान तहसीलदार महोदय को प्रेषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी में नगरपालिका के नाम उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी में अमलदराज होने पर पालिका द्वारा प्रस्तावित भूमि की 10 प्रतिशत आवेदन राशि का समायोजन आवासीय एकल पट्टा प्रयोजनार्थ की राशि में समायोजित करते हुए फार्म हाउस से संबंधित सभी प्रकार के शुल्क की गणना कर खातेदार को राशि जमा कराने का मांग पत्र जारी कर एवं तकनीकी राय अनुसार शर्तों की पालना का 100/- रुपये के स्टाम्प पर नोटेश प्रमाणित शपथ पत्र लिया जाकर राशि जमा उपरांत पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित करते हुए ले आउट प्लान कमेटी द्वारा ले आउट प्लान का अनुमोदन कर ले आउट प्लान पर अनुमोदन के हस्ताक्षर किये गये।

प्रस्ताव संख्या (5). खातेदार श्री पोकरराम पुत्र मीठारामजी जाति - एवं श्री सांवलाराम पुत्र श्री पोकररामजी जातिगण- भील निवासीगण- भीलो का वास सिवाना तहसील-सिवाना जिला- बालोतरा (राज.) के द्वारा प्रस्तुत नगरपालिका सुमेरपुर के परिधिय/राजस्व ग्राम पालड़ी पटवार हल्का पालड़ी तहसील सुमेरपुर के खसरा सं01845/451 कुल रकबा 2.5000 हेक्टेयर मे से 1.9704 हेक्टेयर भूमि यानि 212020.42 वर्गफीट अर्थात् 19704.50 वर्गमीटर को कृषि से गैर कृषिक आवासीय (योजना- श्री अभय गुरु कॉलोनी) प्रयोजनार्थ के ले-आउट प्लान पर विचारार्थ एवं निर्णयार्थ :- उक्त प्रकरण में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव द्वारा भूमि शाखा प्रभारी को कमेटी के समक्ष विस्तृत जानकारी देने हेतु कहा गया। जिस पर शाखा प्रभारी ने कमेटी के समक्ष जानकारी दी गई कि खातेदार द्वारा आवासीय (अभय गुरु कॉलोनी) प्रयोजनार्थ की 90-क किये जाने हेतु इस कार्यालय में पत्रावली प्रस्तुत की गई। जिस पर पालिका द्वारा 90-क से संबंधित पत्रावली में नियमन (प्रीमियम राशि) कुल क्षेत्रफल 19704.5 वर्गमीटर की प्रीमियम राशि 170/- रुपये प्रति वर्गमीटर से कुल राशि 3349765/- रुपये की 10 प्रतिशत अग्रिम आवेदन राशि कुल 349976/- रुपये रसीद सं. 84/27 दिनांक 25.07.2025 से जमा की गई। तत्पश्चात आवेदक के स्वयं के खर्च पर समाचार पत्र में लासूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु पालिका पत्र क्रमांक


3571-3574 दिनांक 28.07.25 से दिये जाने पर खातेदार द्वारा उक्त लोक सूचना का प्रकाशन दैनिक नवज्योति मरुलहर दैनिक के अंक दिनांक 29.07.25 में लोकसूचना के प्रकाशन उपरांत निर्धारित समयावधि में किसी भी व्यक्ति/संस्था/अन्य द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं हुआ। मूल समाचार पत्र की प्रति पत्रावली में संलग्न है। उक्त प्रकरण में श्रीमान तहसीलदार महोदय से प्रारूप-6 की रिपोर्ट चाहने बाबत पालिका के पत्रांक 3575 दिनांक 28.07.25 से श्रीमान तहसीलदार महोदय को प्रेषित किये जाने पर श्रीमान तहसीलदार महोदय से प्रारूप-6 में पत्रांक 333 दिनांक 28.08.25 क्रम सं. 1 से 25 अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस क्रम में यह है कि श्रीमान मुख्य नगर नियोजक जयपुर राजस्थान द्वारा श्री लेखराज सैनी सहायक नगर नियोजक अजमेर जोन, अजमेर को तकनीकी राय दिया जाने हेतु आदेश क्रमांक F.3[2]UDH/II/2024-07409-Part File [4] दिनांक 09.07.2025 के अनुसार सहायक नगर नियोजक कार्यालय, वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन, अजमेर ने नगर नियोजन संबंधी कार्य करने हेतु दिनांक 14.07.2025 को इस कार्यालय में अपनी उपस्थिति दी गई। जिस पर पालिका द्वारा श्री लेखराज सैनी को नगर नियोजन संबंधी तकनीकी राय हेतु इस नगरपालिका सुमेरपुर से कार्यालय आदेश क्रमांक न.पा.सु./संस्था/2025/3193-3195 दिनांक 14.07.2025 को जारी किया गया। श्री लेखराज सैनी सहायक नगर नियोजक द्वारा उक्त प्रकरण में अपनी तकनीकी राय क्रम सं. 01 से 11 की पालना के निर्देश प्रदान करते हुए प्रस्तावित भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ की तकनीकी राय में ले आउट प्लान में निम्नानुसार राय प्रदान करते हुए तकनीकी स्वीकृति के हस्ताक्षर किये गये।

01. आवासीय — 11570.20 वर्गमीटर
02. पार्क — 975.54 वर्गमीटर
03. सड़क में समर्पित — 7158.61 वर्गमीटर
04. कुल क्षेत्रफल — 19704.35 वर्गमीटर

इस प्रकार उक्त प्रकरण में शाखा प्रभारी द्वारा कमेटी के समक्ष विस्तृत जानकारी दी गई। सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि तकनीकी राय हेतु नगरपालिका में पदस्थापित सहायक नगर नियोजक द्वारा अपनी लिखित तकनीकी राय दिये जाने व ले आउट प्लान की तकनीकी स्वीकृति उपरांत ले आउट प्लान कमेटी की बैठक में उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इस पर ले आउट प्लान कमेटी द्वारा मूल पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया। तत्पश्चात कमेटी द्वारा बताया गया कि सर्वप्रथम तकनीकी राय अनुसार प्रस्तावित भूमि के 90-क के आदेश जारी कर श्रीमान तहसीलदार महोदय को प्रेषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी में नगरपालिका के नाम उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी में अमलदराज होने पर पालिका द्वारा प्रस्तावित भूमि की 10 प्रतिशत आवेदन राशि का समायोजन आवासीय प्रयोजनार्थ की राशि में समायोजित करते हुए आवासीय प्रयोजनार्थ से संबंधित सभी प्रकार के शुल्क की गणना कर खातेदार को राशि जमा कराने का मांग पत्र जारी कर एवं तकनीकी राय अनुसार शर्तों की पालना का 100/- रुपये के स्टाम्प पर नोटेरी प्रमाणित शपथ पत्र लिया जाकर राशि जमा उपरांत पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित करते हुए ले आउट प्लान कमेटी द्वारा ले आउट प्लान का अनुमोदन कर ले आउट प्लान पर अनुमोदन के हस्ताक्षर किये गये।

प्रस्ताव संख्या (6): खातेदार श्री रतनलाल पुत्र श्री मूलचंदजी जाति - छीपा निवासी- सुमेरपुर तहसील-सुमेरपुर जिला- पाली (राज.) के द्वारा प्रस्तुत नगरपालिका सुमेरपुर के परिधि/राजस्व ग्राम कोलीवाड़ा पटवार हल्का कोलीवाड़ा तहसील सुमेरपुर के खसरा सं. 1299/193, 1298/193, 194/2 व 195/2 कुल किता 4 कुल रकबा यानि 92125.72 वर्गफीट अर्थात् 8561.87 वर्गमीटर को कृषि से गैर कृषिक आवासीय (योजना- रामेश्वर विहार पार्ट-1)

प्रयोजनार्थ के ले-आउट प्लान पर विचारार्थ एवं निर्णयार्थ :- उक्त प्रकरण में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव द्वारा भूमि शाखा प्रभारी को कमेटी के समक्ष विस्तृत जानकारी देने हेतु कहा गया। जिस पर शाखा प्रभारी ने कमेटी के समक्ष जानकारी दी गई कि खातेदार द्वारा आवासीय (रामेश्वर विहार पार्ट-2) प्रयोजनार्थ की 90-क किये जाने हेतु इस कार्यालय में पत्रावली प्रस्तुत की गई। जिस पर पालिका द्वारा 90-क से संबंधित पत्रावली में नियमन (प्रीमियम राशि) कुल क्षेत्रफल 6962.00 वर्गमीटर की प्रीमियम राशि 130/- रुपये प्रति वर्गमीटर से कुल राशि 905060/- रुपये की 10 प्रतिशत अग्रिम आवेदन राशि कुल 90506/- रुपये रसीद सं. 72/30 दिनांक 12.05.2025 से जमा की गई। तत्पश्चात आवेदक के स्वयं के खर्चे पर समाचार पत्र में लासूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु पालिका पत्र क्रमांक 1095-1098 दिनांक 12.05.2025 से दिये जाने पर खातेदार द्वारा उक्त लोक सूचना का प्रकाशन दैनिक नवज्योति मरुलहर दैनिक के अंक दिनांक 13.05.2025 में लोकसूचना के प्रकाशन उपरांत निर्धारित समयावधि में किसी भी व्यक्ति/संस्था/अन्य द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं हुआ। मूल समाचार पत्र की प्रति पत्रावली में संलग्न है। उक्त प्रकरण में श्रीमान तहसीलदार महोदय से प्रारूप-6 की रिपोर्ट चाहने बाबत पालिका के पत्रांक 1099 दिनांक 12.05.2025 से श्रीमान तहसीलदार महोदय को प्रेषित किये जाने पर श्रीमान तहसीलदार महोदय से प्रारूप-6 में पत्रांक 146 दिनांक 19.05.2025 क्रम सं. 1 से 25 अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस क्रम में यह है कि श्रीमान मुख्य नगर नियोजक जयपुर राजस्थान द्वारा श्री लेखराज सैनी सहायक नगर नियोजक अजमेर जोन, अजमेर को तकनीकी राय दिया जाने हेतु आदेश क्रमांक F.3[2]UDH/II/2024-07409-Part File [4] दिनांक 09.07.2025 के अनुसार सहायक नगर नियोजक कार्यालय, वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन, अजमेर ने नगर नियोजन संबंधी कार्य करने हेतु दिनांक 14.07.2025 को इस कार्यालय में अपनी उपस्थिति दी गई। जिस पर पालिका द्वारा श्री लेखराज सैनी को नगर नियोजन संबंधी तकनीकी राय हेतु इस नगरपालिका सुमेरपुर से कार्यालय आदेश क्रमांक न. पा.सु./संस्था/2025/3193-3195 दिनांक 14.07.2025 को जारी किया गया। श्री लेखराज सैनी सहायक नगर नियोजक द्वारा उक्त प्रकरण में अपनी तकनीकी राय क्रम सं. 01 से 11 की पालना के निर्देश प्रदान करते हुए प्रस्तावित भूमि आवासीय (रामेश्वर विहार पार्ट-1) प्रयोजनार्थ की तकनीकी राय में ले आउट प्लान में निम्नानुसार राय प्रदान करते हुए तकनीकी स्वीकृति के हस्ताक्षर किये गये।

01. आवासीय - 4398.79 वर्गमीटर
02. इनफोरमल - 184.91 वर्गमीटर
03. पब्लिक यूटिलिटी-145.24 वर्गमीटर
04. सड़क में समर्पित - 3832.94 वर्गमीटर
05. कुल क्षेत्रफल - 8561.87 वर्गमीटर

इस प्रकार उक्त प्रकरण में शाखा प्रभारी द्वारा कमेटी के समक्ष विस्तृत जानकारी दी गई। सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि तकनीकी राय हेतु नगरपालिका में पदस्थापित सहायक नगर नियोजक द्वारा अपनी लिखित तकनीकी राय दिये जाने व ले आउट प्लान की तकनीकी स्वीकृति उपरांत ले आउट प्लान कमेटी की बैठक में उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इस पर ले आउट प्लान कमेटी द्वारा मूल पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया। तत्पश्चात कमेटी द्वारा बताया गया कि सर्वप्रथम तकनीकी राय अनुसार प्रस्तावित भूमि के 90-क के आदेश जारी कर श्रीमान तहसीलदार महोदय को प्रेषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी में नगरपालिका के नाम उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी में अमलदराज होने पर पालिका द्वारा प्रस्तावित भूमि की 10 प्रतिशत आवेदन राशि का समायोजन आवासीय प्रयोजनार्थ की राशि में समायोजित करते हुए आवासीय प्रयोजनार्थ से संबंधित सभी प्रकार के शुल्क की गणना कर खातेदार को राशि जमा कराने का मूल पत्र जारी कर एवं

[Handwritten signatures and marks]

सडक का मार्गाधिकार मास्टर प्लान/जोनल प्लान में समायोजित किये जावे तथा स्थानीय निकायो द्वारा उक्त निर्धारित मार्गाधिकार के अन्तर्गत किसी प्रकार अनाधिकृत निर्माण नहीं हो इसे सुनिश्चित किया जावे। तथा अधिसूचना के अनुसार उक्त फार्म हाउस प्रयोजनार्थ फार्म हेतु 9 मीटर स्ता हेतु मध्य बिन्दु से 9 मीटर करते हुए कुल 9 मीटर का मार्गाधिकार तय किया जाने पर विचार कर निर्णय किया जाना है, इस पर ले-आउट प्लान कमेटी ने पत्रावली का अवलोकन कर गहन विचार विमर्श किया गया, कि राज्य सरकार की अधिसूचना अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता/वरिष्ठ प्रारूपकार में प्रस्तावित ले-आउट प्लान में सडक मध्य बिन्दु से 4.5 मीटर दोनों ओर से 9 मीटर रास्ते का निर्धारण करवाया जावे। जब भी नवीन मास्टर प्लान बनाया जायेगा उसमें उक्त सडक/पहुँच मार्ग का समायोजन किया जायेगा, तदपश्चात् वरिष्ठ नगर नियोजक से प्राप्त आक्षेपों की पूर्ति कर तकनीकी राय लिया जाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया था।

इस प्रकार उक्त प्रकरण में शाखा प्रभारी द्वारा कमेटी के समक्ष विस्तृत जानकारी दी गई। सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि तकनीकी राय हेतु नगरपालिका में पदस्थापित सहायक नगर नियोजक द्वारा अपनी लिखित तकनीकी राय दिये जाने व ले आउट प्लान की तकनीकी स्वीकृति उपरांत ले आउट प्लान कमेटी की बैठक में उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इस पर ले आउट प्लान कमेटी द्वारा मूल पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया। तत्पश्चात् कमेटी द्वारा बताया गया कि सर्वप्रथम तकनीकी राय अनुसार प्रस्तावित भूमि के 90-क के आदेश जारी कर श्रीमान तहसीलदार महोदय को प्रेषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी में नगरपालिका के नाम उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी में अमलदराज होने पर पालिका द्वारा प्रस्तावित भूमि की 10 प्रतिशत आवेदन राशि का समायोजन आवासीय प्रयोजनार्थ की राशि में समायोजित करते हुए आवासीय प्रयोजनार्थ से संबंधित सभी प्रकार के शुल्क की गणना कर खातेदार को राशि जमा कराने का मांग पत्र जारी कर एवं तकनीकी राय अनुसार शर्तों की पालना का 100/- रुपये के स्टाम्प पर नोटिस प्रमाणित शपथ पत्र लिया जाकर राशि जमा उपरांत पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित करते हुए ले आउट प्लान कमेटी द्वारा ले आउट प्लान का अनुमोदन कर ले आउट प्लान पर अनुमोदन के हस्ताक्षर किये गये।

तत्पश्चात् अध्यक्ष/सदस्य द्वारा सधन्यवाद बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(कालुराम कुम्हार)
प्रशासक न.पा.सुमेरपुर
अध्यक्ष

(कैलाश कुमार मीना)
कनिष्ठ अभि. न.पा.सुमेरपुर
सदस्य

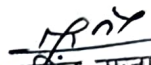
(श्रीकांत लकवाल)
वरिष्ठ प्रारूप. न.पा.सुमेरपुर
सदस्य

(नरपति सिंह राजपुरोहित)
अधि.अधि.न.पा.सुमेरपुर
सदस्य सचिव

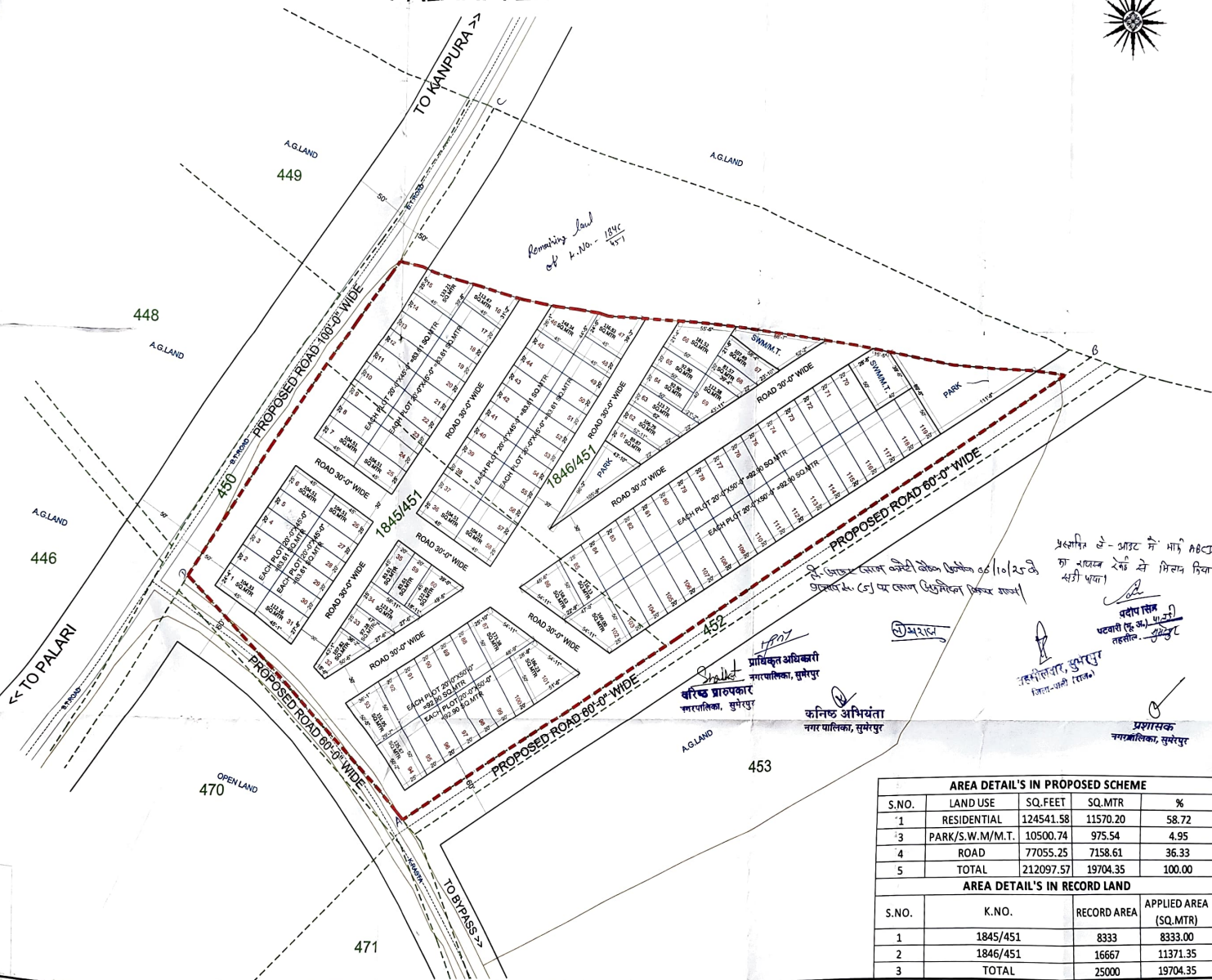
क्रमांक : न.पा.सु. / कृषि भूमि / 2025 / 6431-35
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. श्रीमान प्रशासक महोदय नगरपालिका, सुमेरपुर।
2. श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर।
3. कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका सुमेरपुर
4. वरिष्ठ प्रारूपकार नगरपालिका, सुमेरपुर।
5. कृषि भूमि शाखा प्रभारी नगरपालिका, सुमेरपुर।

दिनांक १६/१०/२५


(नरपतसिंह राजपुरोहित)
अधिशायी अधिकारी
सदस्य सचिव
नगर पालिका सुमेरपुर

PROPOSED LAYOUT PLAN OF " IN KHASRA NO.1845/451,1846/451 AT VILLAGE-PALARI TEH.SUMERPUR DIST.PALI (RAJ.)



प्रस्तावित ले-आउट में भाई 1846/451 का राखन रेड से मिलाव दिया गया है।

ले-आउट जमान बन्दी केबल क्रमिक 06/10/25 के प्रस्ताव सं. 55 पर लागू अनुमोदन किया गया।

महेश

प्रदीप सिंह
प्रवर्तक (प. अ.) प. अ. 2
तहसील - सुमेरपुर

प्रार्थिकृत अधिकारी
नगरपालिका, सुमेरपुर

कनिष्ठ अभियंता
नगर पालिका, सुमेरपुर

प्रशासक
नगरपालिका, सुमेरपुर

AREA DETAIL'S IN PROPOSED SCHEME				
S.NO.	LAND USE	SQ. FEET	SQ. MTR	%
1	RESIDENTIAL	124541.58	11570.20	58.72
3	PARK/S.W./M.T.	10500.74	975.54	4.95
4	ROAD	77055.25	7158.61	36.33
5	TOTAL	212097.57	19704.35	100.00
AREA DETAIL'S IN RECORD LAND				
S.NO.	K.NO.	RECORD AREA	APPLIED AREA (SQ. MTR)	
1	1845/451	8333	8333.00	
2	1846/451	16667	11371.35	
3	TOTAL	25000	19704.35	



कार्यालय नगरपालिका सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

क्रमांक : न.पा.सु./भू.रू./2025-26/9074

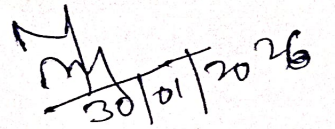
दिनांक 30/01/2026

श्री पोकरराम पुत्र श्री मीठारामजी
श्री सांवलाराम पुत्र श्री पोकररामजी
जातिगण- भील निवासीगण- सिवाना
तहसील-सिवाना जिला- बालोतरा राज.

विषय:- परिधिय ग्राम पालड़ी पटवार हल्का पालड़ी तहसील सुमेरपुर में इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित योजना श्री अभय गुरु कॉलोनी बाबत्।

उपरोक्त विषयन्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तावित अभय गुरु कॉलोनी परिधिय ग्राम पालड़ी पटवार हल्का पालड़ी के खसरा नं. 1845/451,1846/451 कुल विक्रय क्षेत्रफल 11570.20 वर्गमीटर में से 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के भूखण्ड संख्या 61,62,63,64,65,66,67,68,69,47,46,101, कुल 12 भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर नगर पालिका द्वारा रिलीज किये जाने की एवज में आप द्वारा स्टॅम्प(नोटरी प्रमाणित) है।

संलग्न:- 01. मोरगेज शपथ पत्र की छायाप्रति।
02 पॉवर ऑफ अटार्नी की छायाप्रति।


30/01/2026
✓ अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका सुमेरपुर